239

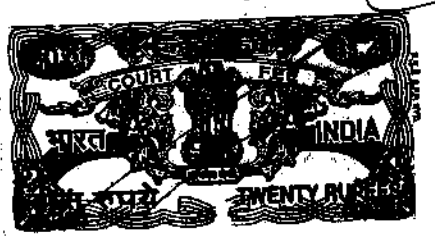

निग 2555-I-16

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म०प्र० ग्वालियर

ब्लासियुस तनय स्व. श्री पौलिस टोप्पो,
नि. जतारा हाल शिवनगर कालौनी टीकमगढ़ म०प्र०
......आवेदक

//विरूद्ध//

म.प्र. शासन ....अनोवदक

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ म०प्र० के प्रकरण क्रमांक 16/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 18–07–2016 स से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्र. एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, आवेदक द्वारा भूमि खसरा नंबर 2364/2/1 रकवा 0.405 हे० स्थित झझरन तहसील जतारा की भूमि जो आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वर्ष 2000 में क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। जो राजस्व रिकार्ड उपरांत आवेदक के नाम विधिवत रूप से दर्ज चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि पर आवेदक बीमार होने के कारण कृषि कार्य न कर पाने से उक्त भूमि के विक्रय हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया था जो निरस्त कर दिया गया जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है।

यह कि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त भूमि को काबिल कास्त बनाने के लिए बहुत श्रमधन खर्च किया परंतु वह काबिल कास्त नहीं बन पायी इसी मध्य आवेदक बीमार होने से उसे पैसे की आवश्यकता तथा वह कृषि कार्य करने में संक्षम नहीं है इस कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति चाही थी आवेदक अनुसूचित जाति का होने से उसे विक्रय की आवश्यकता है इस हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर विचारण न्यायालय तहसीलदार जातारा द्वारा विधिवत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर भूमि विक्रय की अनुशंसा उपरांत अनुविभागीय अधिकारी महोदय

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
कचहरी हिल्स, सागर (म.प्र.)
9424404113, 07582–244808

Xx. "Y(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2555-I/16 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.7.16	1— आवेदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित उनके तर्क श्रवण किए गये। मैंने प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमाँक 16/अ–21/2015–16 मे पारित आदेश दि. 18/07/2016 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि आवेदक के भूमि स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 2364/2/1 रकवा 0.405 हे0 स्थित झझरन तहसील जतारा स्थित भूमि जो आवेदक द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से वर्ष 2000 में क्रय की थी इसके विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसमें तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी जतारा से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जिसमें उन्होनें भूमि विक्रय की अनुशंसा प्रदान की थी आवेदक द्वारा एक आवेदन गंभीर बीमारी के ईलाज हेतु राशि की आवश्यकता होने बावत् प्रमुख सचिव राजस्व विभाग म.प्र. शासन के समक्ष उक्त भूमि विक्रय की अनुमति बावत् दिया था जिस पर अपर सचिव द्वारा आवेदक के आवेदन पर विचार उपरांत कार्यवाही हेतु निर्देश दिए जाने के उपरांत भी आवेदक का आवेदन निरस्त किया गया है। उन्होंने यह भी तर्क दिया हे कि आवेदक को दो बार हृदयघात हो चुका है बायपास सर्जरी कराना अनिवार्य है इस हेतु पैसे की आवश्यकता है आवेदक द्वारा विक्रय की जा रही भूमि पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है उसके द्वारा स्वयं कय की गई भूमि है जहां उसके पास खानदानी भूमि होने से वह भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है इस कारण उन्होनें प्रश्नाधीन अनुमति प्रदान करते हुए निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया है। 3— आवेदक के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रश्नाधीन भूमि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नहीं है। स्वयं कय की गई भूमि है कलेक्टर टीकमगढ़ ने मुख्य रूप से आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति दिए जाने से भूमिहीन होने का आधार लिया है उक्त निष्कर्ष आवेदक के इस प्रकरण में	

K 2555/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है क्योंकि प्रथम तो आवेदक द्वारा स्वयं क्रय की गई भूमि का विक्रय किया जा रहा है तथा आवेदक मूल रूप से मध्यप्रदेश का निवासी न होकर छत्तीसगढ़ का निवासी है जहां उसके शामिल खाते में उसके नाम भूमि होने का प्रतिवेदन तहसीलदार जतारा द्वारा प्रतिवेदित किया है इस कारण वह भूमिहीन की श्रेणी में नहीं आता है। तथा उसके द्वारा चिकित्सा प्रमाणपत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किए है जिसके आधार पर आवेदक को उल्लेखित भूमि के विक्रय की अनुमति दिए जाने में किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक अड़चन नहीं है।

4— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है कलेक्टर जिला टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दि.18.07.16 निरस्त किया जाता है एवं आवेदक को आवेदक को ग्राम झझरन में स्थित भूमि खसरा नं. 2364/2/1, रकवा 0.405 हे0 भूमि के विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विकय विलेख—विलेख संपादित होने के दौरान शासन द्वारा प्रचलित गाईड लाइन के मान से विक्रेता को विक्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं—उपपंजीयक संतुष्टि उपरांत विक्रय विलेख संपादित करें।

सदस्य